



## प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र

	राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर		रोल नंबर: 541422		
	ई-प्रवेश पत्र (प्रोविजनल अनुमति, पात्रता की शर्त के अधीन)		आवेदन आई.डी : 202327737140		
	परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा समय से 1 घंटे पूर्व तक ही प्रवेश अनुमत है।		लिंग	MALE	जन्मतिथि
परीक्षा का नाम : कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा - 2023					
परीक्षार्थी का नाम	RAVI PRAKASH BAIRWA				
पिता/पति का नाम	SITA RAM BAIRWA				
श्रेणी एवं क्षैतिज श्रेणी	SC				
पता	VILLAGE KATHMANA POST KATHMANA TEHSIL PIPLU District-TONK State-Rajasthan Pincode-304801				
				 Ravi Prakash Bairwa	

## परीक्षा कार्यक्रम और केन्द्र का विवरण

SUBJECT/PAPER	परीक्षा की तिथि व समय	परीक्षा केन्द्र का जिला	परीक्षा केन्द्र कोड नं. एवं परीक्षा केन्द्र का नाम व पता
WRITTEN EXAMINATION	04-Feb-2024 रविवार 10:00 AM to 12:00 PM	JAIPUR	(17035) - GOVT. SHAHEED HIMMAT SINGH SR. SEC. SCHOOL, MURLIPURA SCHEME, BEHIND MURLIPURA POST OFFICE, JAIPUR

SSO Id PRAKASHLAWAT1998 IP Address 223.188.69.69 Timestamp 2024-01-27 16:29:25

नोट :-

- परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से एक घंटा पहले तक परीक्षा केन्द्र में परीक्षार्थियों को प्रवेश की अनुमति होगी। अर्थात परीक्षा केन्द्र का प्रवेश द्वार ठीक 1 घंटे पूर्व बंद हो जायेगा, इसके पश्चात किसी प्रकार से प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षा प्रारम्भ होने के लिए नियत समय से 1 घंटा 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जावे ताकि Frisking/ Biometrics , Face Recognition द्वारा तलाशी एवं पहचान कार्य पूर्ण हो सके देरी पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं, इसके लिए परीक्षार्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- परीक्षार्थी ई-प्रवेश पत्र की प्रविष्टियों को ध्यान पूर्वक देख लें यदि इनके बारे में कोई आपत्ति हो तो परीक्षा के पश्चात निर्धारित समयावधि में SSO के माध्यम से ऑनलाईन ही स्वयं के स्तर पर सुधार कर लें। किसी भी स्थिति में ऑफलाईन संशोधन स्वीकार नहीं होगा।

सचिव

## परीक्षार्थियों के लिए मुख्य अनुदेश:-

- परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से ठीक 1 घंटे पूर्व तक ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश अनुमत है, इसके पश्चात परीक्षार्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- ई-प्रवेश पत्र प्रोविजनल है, परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने से पूर्व अपनी पात्रता के सम्बन्ध में संतुष्ट हो जाना चाहिए।
- परीक्षा के दिन परीक्षा केन्द्र पर निम्न सामग्री लानी है:- ई-प्रवेश पत्र, (उपस्थिति पत्रक पर चिपकाने हेतु) 2.5 C.M . X 2.5 C.M . साइज का स्वयं का स्पष्ट नवीनतम रंगीन मूल Front photo (जो Merge , Morphed , एवं Temper किया हुआ न हो तथा एक माह से अधिक पुराना न हो, सभी फोटोग्राफ की सॉफ्टवेयर से जाँच की जायेगी) , नीले रंग की स्याही का पारदर्शी बॉल पेन, पहचान हेतु एक मूल फोटोयुक्त पहचान प्रमाणपत्र - आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जावेगी, आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है। विशेष परिस्थिति में ही पेनकार्ड, पासपोर्ट, डाइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान - पत्र में से कोई एक से मिलान किया जावेगा। पहचान प्रमाण पत्र की छाया प्रति मान्य नहीं है। फोटो पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने, गहन तलाशी के उपरान्त एवं निर्धारित ट्रेस कोड में आने पर ही परीक्षार्थी को केन्द्र में प्रवेश दिया जायेगा।
- परीक्षा केन्द्र के परिसर में नीली स्याही के पारदर्शी बॉल पेन के अलावा अन्य किसी प्रकार का पेन, पर्स, बैग, मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, किसी भी प्रकार की घड़ी, केलकुलेटर, लॉग टेबल, पेजर, संचार के कोई भी उपकरण, किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, व्हाइटनर, स्लाइड रूल, ज्यामैट्री बॉक्स और कोई भी पाठ्य सामग्री, नोट इत्यादि लाने की अनुमति नहीं है। केन्द्र पर इन्हें सुरक्षित रखने का दायित्व बोर्ड/केन्द्राधीक्षक का नहीं होगा। केन्द्र पर उपरोक्त सामग्री के सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं होने से परीक्षार्थी उपरोक्त सामग्री को परीक्षा केन्द्र पर नहीं लावें।
- परीक्षाओं के सम्बन्ध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। परीक्षा संचालन में किसी प्रकार से अनुचित साधनों का उपयोग एवं अनियमित गतिविधियों (अधिनियम की धारा 2(च) के अन्तर्गत यथा परिभाषित) में संलिप्तता पायी जाती है तो उनके विरुद्ध, राज० सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधिनियम 2022 एवं (संशोधन) अधिनियम, 2023 (संख्याक 17) के अनुसार 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक दंड तथा 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कठोर दंडात्मक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है साथ ही ऐसे अभ्यर्थी को आगे परीक्षा देने से विवर्जित (Debar) भी किया जावेगा।
- परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 5 विकल्प (Circle) होंगे। उनमें से किसी एक विकल्प का चयन कर भरना (Darken) आवश्यक होगा। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर देना चाहता है तो विकल्प A, B, C, D में से किसी एक विकल्प का चयन कर भरना होगा और यदि उत्तर देना नहीं चाहता है तो विकल्प E को भरना आवश्यक होगा। यदि

अभ्यर्थी प्रश्न के पाँचों विकल्पों में से कोई भी एक विकल्प का चयन कर नहीं भरता है तो ऐसे प्रश्न हेतु प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जायेगा और यदि कुल प्रश्नों के 10% से अधिक प्रश्नों में पाँचों में से कोई भी एक विकल्प नहीं भरता है तो अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु अयोग्य (Disqualify) कर दिया जायेगा।

7. परीक्षार्थियों के विस्तृत अनुदेश एवं ड्रेस कोड बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसका अवलोकन कर पालना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।